न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78 / 2020(2020 / 00275)

शंकर लाल पुत्र मल्लाराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला ग्राम नेणिया तहसील परबतसर जिला नागौर

–प्रार्थीयां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—

1. शैलेन्द्र सिंह राठौड़ वकील— प्रार्थी
2. तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 2·12·20

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
151	127	1256	0.90	बा.उत्तम
		1257	0.74	बा.उत्तम
		1258	0.51	बा.उत्तम
		1258 / 1408	0.23	बा.उत्तम
		1258 / 1453	0.10	बा.उत्तम
		1259	0.08	बा.उत्तम
		1259 / 1454	0.13	बा.उत्तम
		कुल किता 7	2.69	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड जमाबदी मे प्रार्थी के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबदी मे कोई रास्ता दर्ज नही है। किन्तु मौके पर मुख्य सड़क के लगवा स्थित खसरा संख्या 1254 सरकारी सिवायचक भूमि मे मौके पर रास्ता मौजूद है। तथा भूमि खसरा संख्या 1260 सरकारी सिवायचक भूमि मे सकड़ा रास्ता है अर्थात 3—4 फीट चौड़ा रास्ता है तथा भूमि खसरा नंबर 1260 पर अतिक्रमियों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इस कारण आने जाने मे व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। भूमि खसरा संख्या 1260 मे राजस्व रेकार्ड मे जमाबंदी मे व नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति आने जाने मे व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। मौके पर खसरा संख्या 1260 मे पश्चिमी मेड़ के लगवा [illegible] चौड़ा रास्ता मौजूद है किन्तु वह आने जाने हेतु प्रर्याप्त नहीं है इस कारण उक्त रास्ते को 20 फीट चौड़ा किया जाना व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु वांछित रास्ता अप्रार्थी राजस्थान सरकार की भूमि खसरा संख्या 1260 की पश्चिमी मेड़ के लगवा स्थित है जो संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित कर रखा है तथा रास्ते की न्यूनतम चौड़ा 20 फीट होना आवश्यक है। दिनांक 19.09.2020 को प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर ट्रेक्टर से जाने लगा तो मौके पर काबिज अतिक्रमियों ने आने जाने मे बाधा उत्पन्न की। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की भूमि की राशि अप्रार्थी को अदा कर ने हेतु सदैव से तैयार व तत्पर रहे है व है। उक्त वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षैत्राधिकार मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनने व तय करने

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:55 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

की अधिकारिता प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1256,1257,1258,1258/1408, 1258/1453 1259,1259/1454 पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1260 मे से संलग्न नक्शेमे लाल स्याही से दर्शित हिस्से पर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने की कृपा करावे। व उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज किये जाने के भी आदेश फरमावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार से जवाब चाहा गया।

तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/5678 दिनांक 01.12.020 से जवाब व मौका पर्चा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम नायकी की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 151 खसरा संख्या 1256,1257,1258,1258/1408,1258/1453,1259,1259/1454 किता 7 रकबा 2.59 हैक्टयर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। भू अभिलेख निरीक्षक जूनिया द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे अंकित नजरी नक्शा अनुसार वादी अपनी खातेदारी भूमि मे आने हेतु राजस्व रेकार्ड/राजस्व मानचित्र मे दर्ज खसरा नंबर 1254,1260 मे से संलग्न नजरी नक्शें मे अंकितानुसार आवागमन कर रहे है। प्रार्थी के खेत मे निकटतम दूरी पर केकड़ी मे एकलसिंगा सड़क राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी के खेत के पास गुजरने वाले स्वीकृत रास्ते मे से सुविधाजनक रास्ते का उल्लेख किया जा चुका है। प्रार्थी को अपने खेत मे आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है। ग्राम नायकी के खसरा नंबर 1254,1260 मे से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को मौके पर उपलब्ध वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित है। भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार आपस मे प्रतिकर की राशि एवं भूमि के बदले भूमि बाबत् सहमत नहीं है। रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि के प्रतिकर की राशि एवं भूमि के बदले भूमि बाबत् सहमत नहींहै रास्ते के उपयोग मे आने वाली प्रतिकर की राशि की गणना मौका रिपोर्ट मे की जा चुकी है। जो संलग्न है। मौके पर अन्य कोई पेड़ या संरचना हटाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ग्राम नायकी के आराजी खसरा नंबर 1254,1260 सिवायचक खाते मे दर्ज है। जमाबंदी की नकल संलग्न की हैं। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम नायकी जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 151 खसरा संख्या 1256,1257,1258,1258/1408,1258/1453,1259,1259/1454 किता 7 रकबा 2.59 हैक्टयर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस आराजीयात मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 1254 व 1260 मे से 20फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 1254 मे से 246 X10 = 2460 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 1260 मे से 180X10 = 1800 वर्गमीटर 1260 भूमि रास्ता हेतु दिया जाना उचित है।

मैने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाकै ग्राम नायकी जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 151 खसरा संख्या 1256,1257,1258,1258/1408,1258/1453,1259,1259/1454 किता 7 रकबा 2.59 हैक्टयर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस आराजीयात मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 1254 व 1260 मे से 20फीट चौड़ा रास्ता दिये जावे। खसरा संख्या 1254 मे से 246 वर्गमीटर लम्बा व 1260 मे से 180 वर्गमीटर लं[illegible] 20 फीट चौड़ा प्रार्थी के चाहे अनुसार रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया [illegible] अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner